Helpline 1064 94135-02834

कार्यालय महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो

(जनसम्पर्क प्रकोष्ठ)

प्रेस नोट

- **कोटा एसीबी की बूंदी में ट्रैप कार्यवाही, तीन फोरेस्ट गार्ड 10 हजार रुपये रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार, एक फोरेस्ट गार्ड डिटेन**

जयपुर, दिनांक 15 जून, 2026। ए.सी.बी. मुख्यालय के निर्देश पर ए.सी.बी. इकाई कोटा द्वारा आज कार्यवाही करते हुए आरोपी **रूपाराम फोरेस्ट गार्ड, रामावतार फोरेस्ट गार्ड एवं विजेन्द्र फोरेस्ट गार्ड** को परिवादी से **10,000/- रुपये** रिश्वत राशि लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है। वहीं **आरोपी साबूलाल फोरेस्ट गार्ड** को पूछताछ हेतु डिटेन किया गया है।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के **महानिदेशक श्री गोविंद गुप्ता** ने बताया कि ए.सी.बी. कोटा को एक शिकायत इस आशय की प्राप्त हुई कि परिवादी द्वारा ग्राम लक्ष्मीपुरा, जिला बूंदी में अपनी जेसीबी मशीन से खेत सुधार एवं खाद डालने का कार्य किया जा रहा है। दिनांक 10.06.2026 को आरोपी रूपाराम फोरेस्ट गार्ड एवं अन्य वन विभाग कार्मिकों द्वारा परिवादी की जेसीबी मशीन को संचालित करने देने की एवज में 1 लाख रुपये प्रतिमाह रिश्वत राशि की मांग की गई तथा रिश्वत राशि नहीं देने पर जेसीबी मशीन को जब्त करने की धमकी देकर परिवादी को परेशान किया जा रहा था।

जिस पर ए.सी.बी. कोटा रेंज के **उप महानिरीक्षक पुलिस श्री ओमप्रकाश मीणा** के सुपरवीजन में **अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री विजय स्वर्णकार** के नेतृत्व में शिकायत का सत्यापन करवाया गया। दिनांक 11.06.2026 को मांग सत्यापन की कार्यवाही के दौरान आरोपियों द्वारा 50,000/- रुपये प्रतिमाह रिश्वत राशि मांगे जाने की पुष्टि हुई। सत्यापन के दौरान ही आरोपियों द्वारा परिवादी से 5,000/- रुपये रिश्वत राशि जबरन प्राप्त कर ली गई।

आरोपियों द्वारा रिश्वत राशि मांगे जाने की पुष्टि होने के उपरांत आज दिनांक 15.06.2026 को **पुलिस निरीक्षक श्रीमती चन्द्रकंवर** के नेतृत्व में गठित ट्रैप दल द्वारा कार्रवाई करते हुए आरोपी रूपाराम फोरेस्ट गार्ड, रामावतार फोरेस्ट गार्ड एवं विजेन्द्र फोरेस्ट गार्ड को परिवादी से बरदा डेम, जिला बूंदी स्थित वन विभाग की चौकी में 10,000/- रुपये रिश्वत राशि प्राप्त करते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया। वहीं आरोपी साबूलाल फोरेस्ट गार्ड को वन विभाग की लक्ष्मीपुरा चौकी से डिटेन कर पूछताछ की जा रही है।

एसीबी की **अतिरिक्त महानिदेशक श्रीमती स्मिता श्रीवास्तव** के निर्देशन में आरोपियों से पूछताछ तथा अग्रिम कार्यवाही जारी है। ए.सी.बी. द्वारा मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान किया जायेगा।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की टोल फ्री हेल्पलाइन नम्बर 1064 एवं व्हाट्सएप हेल्पलाइन नम्बर 9413502834 पर 24 7 सम्पर्क कर भ्रष्टाचार के विरुद्ध अभियान में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। एसीबी आपके वैध कार्य को करवाने में पूरी सहायता करेगी।